

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठारीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 136/2025

अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
<p>1. जुनिपर ग्रीन स्टेलर प्राईवेट लिमिटेड जरिये अधिकृत सुनिल बोड़ा पुत्र ओमप्रकाश बोड़ा जाति बाहमण, निवासी वैशाली नगर, जयपुर (वादी संख्या 1 लीज धारक है)</p> <p>2. गोपी पत्नी किसना जाति वजीर, निवासी शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर</p>		<p>1. वगता पुत्र लौगा 1.1 मगराजसिंह पुत्र वगता 1.2 लक्ष्मणसिंह पुत्र वगता 1.3 भीमसिंह पुत्र वगता 1.4 वीरमसिंह पुत्र वगता 1.5 गंगाकंवर पत्नी वगता जाति वजीर (रावणा राजपुत), निवासी शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर</p> <p>1.6 भगु कंवर पुत्री वगता पत्नी नारायणसिंह जाति वजीर (रावणा राजपुत) निवासी शिव हाल निवासी झिंझनियाली तहसील फतेहगढ, जिला जैसलमेर</p> <p>1.7 समधा कंवर पुत्री वगता पत्नी धर्मसिंह जाति वजीर (रावणा राजपुत) निवासी शिव हाल निवासी शास्त्री नगर, बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर</p> <p>2. तहसीलदार शिव</p>

उपरिथत :- अधिवक्ता वादीगण - श्री अभयसिंह राठौड़ एवं बृजमोहन कुमावत।
अधिवक्ता प्रतिवादीगण - श्री सुनिल के मेराजा एवं श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 24.02.2026

उभयपक्ष अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादीगण अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। प्रतिवादीगण अधिवक्तागण द्वारा कब्जा काशत अनुसार विभाजन नहीं किये जाने की आपत्ति की गई, जबकि ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट हो कि कब्जा काशत अनुसार विभाजन प्रस्ताव नहीं बनाया गया हो। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री में दर्ज हिस्सानुसार तैयार किया गया है। अतः तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री अनुसार होने एवं मौके पर कब्जा काशत अनुसार होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल शिव के ग्राम शिव के खेत खसरा नम्बर 881/355 रकबा 12.1406 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है -

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	गोपी पत्नी किसना जाति वजीर सा. देह खातेदार	शिव	881/355	6.0703	बा.दो.	-	केसरिया
2	वगता पुत्र लौगा जाति वजीर सा. देह खातेदार	शिव	881/355	6.0703	बा.दो.	-	हरा

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारान् बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राथमिक डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 24.02.2026 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)